56

छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय.

क्रमांक 12/एफ 9–3/34–2/03/ रायपुर, दिनांक 5/01/2010

मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार

प्रस्तावनाः– छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्राम, विकास खंड, एवं जिला स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। उक्त कार्य में जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों /कर्मचारियों के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है :–

(1) संक्षिप्त नामः–1.इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार" है।
2.ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(2) परिभाषा :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
अ–"निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों को नियम–4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।
ब– अधिकारी/कर्मचारी से तात्पर्य एक अधिकारी कर्मचारी से है।

(3) सम्मान का स्वरूप :– ग्रामीण स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति–पत्र के रूप में दी जावेगी। पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधी/अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा। प्रशस्ति–पत्र पृथक से दिया जावेगा।

1. स्वर्ण पदक विजेता पुरस्कारः–

राज्य के सर्वाधिक सफल दो जिलों को जो निर्मल ग्राम पुरस्कार के मापदण्डों के अनुरूप रहेंगे, जिनकी सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पुरस्कृत होंगी। इन जिलों के जिला पंचायत के अध्यक्ष, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग को पुरस्कृत किया जाएगा।

2. राज्य के श्रेष्ठ दो जनपद पंचायतों के अध्यक्षों एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक अभियंता, (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही इन विकास खण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित दो उपयंत्रियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

51

(4) **निर्णायक मंडल का गठन** :– राज्य शासन ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः पांच संदस्यीय होगी, का गठन होगा।

(5) **निर्णायक मण्डल की शक्तियां** :–

1. निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा।
2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए जनप्रतिनिधी/अधिकारी/कर्मचारी का चयन होगा।
5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक क दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
6. चयन वर्ष 2012 तक के लिए प्रस्तावित है,राज्य शासन इसे आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकेगा।

(6) **चयन की प्रक्रिया** :–पुरस्कार के लिये उपयुक्त जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रविष्टियां प्राप्त की जावेगी।
2. प्रविष्टि प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वांस्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :–

क. जनप्रतिनिधी/अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण परिचय।

ख. ग्रामीण स्वच्छता अभियान के कार्यो में लक्ष्य पूरा करने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने, सामाजिक चेतना का अच्छा वातावरण विकसित करने क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य,सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिये किये गये कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

घ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।

   ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित जनप्रतिनिधी/अधिकारी/कर्मचारी का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र–व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षो / प्रमाणों का सम्पूर्ण उतरदायित्व प्रविष्ट प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।

6. प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जावेगी,जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा :–

   1. जनप्रतिनिधी / अधिकारी / कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पता
   2. प्रस्तावक
   3. "सम्मान" विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
   4. प्राप्त पुरस्कार / सम्मान
   5. प्रमाण / टिप्पणियां / आलेख
   6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है / नहीं है।

7. चयन का मानदण्डः–

सम्मान के लिए ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधी / अधिकारी / कर्मचारी के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :–

1. सम्मान के लिए निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा ऐसे जनप्रतिनिधी / अधिकारी / कर्मचारियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सेवा की हो। भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम हेतु निर्धारित मापदण्डों का यथावत पालन किया जाएगा।
2. निर्णायक मंडल द्वारा पूर्व वर्ष में किये गये तथा चयन वर्ष में किये गए दोनों प्रकार के कार्यो का मूल्यांकन करेगा। प्रथम बार वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के लिए देय होगा।
3. विभाग द्वारा अथवा प्रस्ताव द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए बताई गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।
4. सम्मान चूंकि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में समग्र, योगदान के आधार पर दिया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।
5. ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए, जो कि प्रमाण–पत्रों / पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदन से होगा।

8. सम्मान की घोषणाः–

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित अधिकारी / कर्मचारीयों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

09. **अलंकरण समारोह :–**

पुरस्कारों का अलंकरण समारोह राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारी को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्ही के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। पुरस्कार प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को शासन के नियमानुसार समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. **व्यय की संपूर्ति:–**

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आई.ई.सी. मद में भारित किया जावेगा।

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:–**

राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों मे उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वेष्ठित होंगे।

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन:–**

प्राप्ति प्रविष्टियां एवं चयन जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारी का रिकार्ड एक अलग–अलग जिल्द में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संधारित किया जावेगा चयनित अधिकारी/कर्मचारी के ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी, जिसमें सम्मान के उद्देश्यों, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0 कमांक 13 /एफ 9–3/34–2/03/ रायपुर, दिनांक 5/01/2010
प्रतिलिपिः–

01. निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री महोदय जी, छ.ग.शासन, ।

02 विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, लोक स्वा.यां. एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग,छ.ग.शासन, ।

03. निज सहायक, मान. संसदीय सचिव, लोक स्वा.यां. एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग,छ.ग.शासन, ।

04. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय।

05. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,छ.ग. शासन, ...विभाग।

06. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।

07. प्रमुख अभियंता, लोक स्वा.यां. विभाग, छ.ग. रायपुर।

08. आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर, संभाग छ.ग.।

09. मुख्य अभियंता एवं नोड़ल अधिकारी, टी.एस.सी.लोक स्वा.यां.विभाग रायपुर।

11. मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12. कलेक्टर जिला .... (छ.ग.)

13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ....

14. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा.यां. खंड ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

C:\Users\hd\Documents\Proforma-NGP.doc